भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2843

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

कोयला खानों में उन्नत सुरक्षा उपाय

2843. श्री काली चरण सिंहः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री बलभद्र माझीः
श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऐसी कुल कितनी कोयला खानें हैं, जहाँ संस्तर प्रबंधन और पर्यावरणीय निगरानी जैसे उन्नत सुरक्षा उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का ऐसे उन्नत सुरक्षा मानकों का पालन न करने की स्थिति में कड़े दंडात्मक प्रावधान कार्यान्वित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो प्रवर्तनकारी उपायों की प्रकृति सहित प्रस्तावित दंडात्मक कार्यढांचे और इस संबंध में परिकल्पित किन्हीं संस्थागत परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत पाँच वर्षों के दौरान देशभर में कोयला खानों में कुल कितनी सुरक्षा संबंधी संपरीक्षाएं की गई हैं और ओडिशा में की गई उक्त संपरीक्षाओं का अनुपात कितना है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): डीजीएमएस (खान सुरक्षा महानिदेशालय) के साथ पंजीकृत सभी 647 प्रचालनरत कोयला खानों में कोयला खान विनियमन, 2017 के तहत यथा अधिदेशित स्ट्रेटा प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी प्रणालियां मौजूद हैं।

(ख) और (ग): खानों में सुरक्षा मानकों का अनुपालन न करने की स्थिति को रोकने के लिए खान अधिनियम, 1952 के अध्याय IX के अंतर्गत यथोचित प्रावधान विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जिनमें जुर्माना, अभियोजन और कारावास आदि शामिल हैं।

(घ): पिछले पांच वर्षों के दौरान ओडिशा राज्य में किए गए ऑडिट सहित सीआईएल, एससीसीएल और एनएलसीआईएल की कोयला खानों में किए गए कुल सुरक्षा ऑडिट निम्नानुसार हैं:

कोयला कंपनियों का नाम	वर्ष				
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सीआईएल (एमसीएल, ओडिशा सहित)	300	286	293	284	286
एससीसीएल	12	9	16	21	10
एनएलसीआईएल (ओडिशा में 1 खान सहित)	5	5	5	5	10
एमसीएल द्वारा ओडिशा राज्य में कोयला खान का ऑडिट	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**
ओडिशा राज्य में एनएलसीआईएल द्वारा कोयला खान का ऑडिट	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**

****